

## भारत में बायोस्फीयर रजिस्ट्रेशन

### परचियः

- बायोस्फीयर रजिस्ट्रेशन (BR), UNESCO द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक परदृश्यों के संकेतक भागों के लिये दिया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है जो स्थलीय या तटीय/समुद्री पारस्परिक तंत्रों के बड़े क्षेत्रों या दोनों के संयोजन को शामिल करता है।
- स्थलीय या तटीय/समुद्री पारस्परिक तंत्र के बड़े क्षेत्रों या दोनों के संयोजन में फैले प्राकृतिक और सांस्कृतिक परदृश्य के प्रतिनिधिभागों के लिये बायोस्फीयर रजिस्ट्रेशन (BR) संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा दिया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है।
- बायोस्फीयर रजिस्ट्रेशन प्रकृति के संरक्षण के साथ आरथिक और सामाजिक विकास तथा संबद्ध सांस्कृतिक मूलयों के रखरखाव को संतुलित करने का प्रयास करता है।
- इस प्रकार बायोस्फीयर रजिस्ट्रेशन लोगों और प्रकृतिदोनों के लिये विशेष वातावरण हैं तथा इस बात के उदाहरण हैं कम्पनियों एवं प्रकृतिएक-दूसरे की ज़रूरतों का सम्मान करते हुए कैसे सह-अस्तित्व में रह सकते हैं।

### बायोस्फीयर रजिस्ट्रेशन के पदनाम के लिये मानदंडः

- कस्ती स्थल में प्रकृति संरक्षण के दृष्टिकोण से संरक्षण और न्यूनतम अशांत क्षेत्र होना चाहिये।
- संपूर्ण क्षेत्र एक जैव-भौगोलिक इकाई के समान होना चाहिये और उसका क्षेत्र इतनाबड़ा होना चाहिये कि वह पारस्परिक तंत्र के सभी पोषण स्तरों का प्रतिनिधित्व कर रहे जीवों की संख्या को बनाए रखे।
- प्रबंधन प्राधिकरण को स्थानीय समुदायों की भागीदारी/सहयोग सुनिश्चित करना चाहिये ताकि जैव विविधता के संरक्षण और सामाजिक-आरथिक विकास को आपस में संलग्न करते समय प्रबंधन तथा संघरण को रोकने के लिये उनके ज़्यान एवं अनुभव का लाभ उठाया जा सके।
- वह क्षेत्र ज़िम्मे पारंपरिक आदविसी या ग्रामीण स्तरीय जीवनयापन के तरीकों को संरक्षित रखने की क्षमता हो ताकि प्रायावरण का सामंजस्यपूरण उपयोग किया जा सके।

### बायोस्फीयर रजिस्ट्रेशन की संरचना:

- कोर क्षेत्र (Core Areas):**
  - यह बायोस्फीयर रजिस्ट्रेशन का सबसे संरक्षित क्षेत्र है। इसमें स्थानकि पौधे और जानवर हो सकते हैं।
  - इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रकरणों, जो प्राकृतिक क्रयिआओं एवं वन्यजीवों को प्रभावित न करें, की जा सकती हैं।
  - एक कोर क्षेत्र एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है, जिसमें ज़्यादातर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित/वनियमित राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य शामिल होते हैं। इस क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी का प्रवरेश वर्जित है।
- बफर क्षेत्र (Buffer Zone):**
  - बफर क्षेत्र, कोर क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र है। इस क्षेत्र का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिये किया जाता है जो पूरणतया नियंत्रित व गैर-विविंशक हों।
  - इसमें सीमित प्रयटन, मछली पकड़ना, चराई आदि शामिल हैं। इस क्षेत्र में मानव का प्रवेश कोर क्षेत्र की तुलना में अधिक एवं संक्रमण क्षेत्र की तुलना में कम होता है।
  - अनुसंधान और शैक्षिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है।
- संक्रमण क्षेत्र (Transition Zone):**
  - यह बायोस्फीयर रजिस्ट्रेशन का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। यह सहयोग का क्षेत्र है जहाँ मानव उद्यम और संरक्षण सद्भाव से किया जाते हैं।
  - इसमें बस्तियाँ, फसलें, प्रबंधित जंगल और मनोरंजन के लिये क्षेत्र तथा अन्य आरथिक उपयोग क्षेत्र शामिल हैं।

The three zones that characterise a Biosphere Reserve are



- Core area
- Buffer zone
- Transition area
- Human settlements
- Research station
- Monitoring
- Education / training
- Tourism / recreation

//

## बायोस्फीयर रजिस्ट्रेशन के कार्य:

- संरक्षण-
  - बायोस्फीयर रजिस्ट्रेशन के आनुवंशिक संसाधनों, स्थानिक प्रजातियों, पारस्थितिकि तंत्र और परदृश्य का प्रबंधन।
  - यह मानव-पशु संघर्ष को रोक सकता है, उदाहरण के लिये अवनी बाघ की मौत, जास्ती गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, क्योंकि वह आदमखोर हो गई थी।
  - वन्यजीवों के साथ आदविसियों की संस्कृति और रीत-रिवाजों का भी संरक्षण।
- विकास-
  - आरथिक और मानवीय विकास को बढ़ावा देना जो समाजशास्त्रीय और पारस्थितिकी स्तर पर स्थायी हों। यह सतत विकास के तीन स्तरों को मजबूत करता है: सामाजिक, आरथिक और प्रयावरण का संरक्षण।
- लॉजिस्टिक्स-
  - स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण एवं सतत विकास के संदर्भ में अनुसंधान गतिविधियों, प्रयावरण शिक्षा, प्रशिक्षण तथा निगरानी को बढ़ावा देना।

## भारत में बायोस्फीयर रजिस्ट्रेशन:

- भारत में 18 बायोस्फीयर रजिस्ट्रेशन हैं:
  - कोल्ड डेजरट, हमिचल प्रदेश
  - नंदा देवी, उत्तराखण्ड
  - खंगचेंजांग, सक्रिमि
  - देहांग-देबांग, अरुणाचल प्रदेश
  - मानस, असम
  - डिब्रू-सैखोवा, असम
  - नोकरेक, मेघालय
  - पन्ना, मध्य प्रदेश
  - पचमढ़ी, मध्य प्रदेश
  - अचनकमार-अमरकंटक, मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़
  - कच्छ, गुजरात (सबसे बड़ा क्षेत्र)
  - समिलिपिल, ओडिशा
  - सुंदरबन, पश्चिम बंगाल
  - शेषचलम, आंध्र प्रदेश
  - आगस्त्यमाला, कर्नाटक-तमिलनाडु-कर्नाटक
  - नीलगिरि, तमिलनाडु-कर्नाटक (पहले शामिल होने के लिए)
  - मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु
  - ग्रेट निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप

## बायोस्फीयर रजिस्ट्रेशन की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति:

- यूनेस्को ने विकास और संरक्षण के बीच संघर्ष को कम करने के लिये प्राकृतिक क्षेत्रों के लिये पदनाम 'बायोस्फीयर रजिस्ट्रेशन' की शुरुआत की है। बायोस्फीयर रजिस्ट्रेशन को राष्ट्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाता है जो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम (Man and Biosphere Reserve Program) के तहत न्यूनतम मानदंडों को पूरा करता है। वैश्विक रूप से 122 देशों में 686 बायोस्फीयर भंडार हैं, जिनमें

20 पारगमन स्थल शामिल हैं।

## मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम:

- वर्ष 1971 में शुरू किया गया यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम (MAB) एक अंतर-सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोगों और उनके वातावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिये वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है।
- यह आरथिक विकास के लिये नवाचारी वृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक वृष्टिकोण से उचित तथा पर्यावरणीय रूप से धारणीय है।
- भारत में कुल 11 बायोस्फीयर रजिस्ट्रेशन हैं जिनमें मैन एंड बायोस्फीयर रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है:
  - नीलगिरि (पहले शामिल किया गया)
  - मन्नार की खाड़ी
  - सुंदरबन
  - नंदा देवी
  - नोकरेक
  - पचमढ़ी
  - समिलीपाल
  - अचनकमार - अमरकंटक
  - महान नकोबार
  - अगस्त्यमाला
  - खंगचेदज्जौंगा (2018 में मैन एंड बायोस्फीयर रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के तहत जोड़ा गया)

## बायोस्फीयर संरक्षण:

- बायोस्फीयर रजिस्ट्रेशन नामक एक योजना वर्ष 1986 से भारत सरकार द्वारा कार्यान्वयन की जा रही है, जिसमें उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों और तीन हमिलयी राज्यों को 90:10 के अनुपात में तथा अन्य राज्यों को रखरखाव, कुछ वस्तुओं का सुधार एवं विकास के लिये 60:40 के अनुपात में वित्तीय सहायता दी जाती है।
- राज्य सरकार प्रबंधन कार्ययोजना तैयार करती है जिसका अनुमोदन और निगरानी का कार्य केंद्रीय MAB समिति द्वारा किया जाता है।

## आगे की राह:

- आदिवासियों के भूमि अधिकार जो संकरमण क्षेत्रों में वन संसाधनों पर निरिभर हैं, को सुरक्षित करने वाली विदेशी प्रजातियों के खलिफ सख्त कदम उठाने चाहिये।